

PUP'S

मध्यप्रदेश शासन
- लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय भोपाल

कमांक एफ 53/1/2012/19/यो/896

भोपाल, दिनांक 05.02.2013

प्रति,


1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
2. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
परिक्षेत्र,
3. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
मण्डल
4. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
संभाग

विषय:- सड़कों पर नवीनीकरण कार्यों में अनुपूरक कार्यों की माप चेकिंग

राज्य शासन एतद्वारा सड़क के नवीनीकरण कार्यों के अनुबन्धों में उसी मार्ग के अन्य कि.मी. के लिए अनुपूरक कार्य ए.आर. प्रोग्राम में नवीनीकरण की स्वीकृति एवं आवंटन की सीमा में 100 प्रतिशत की सीमा तक स्वीकृत करने के लिए माह जून, 2013 तक परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को अधिकृत करता है।

साथ ही आदेशित करता है कि ऐसे स्वीकृत किये गये नवीनीकरण के अनुपूरक कार्यों की माप का संत्यापन (चेकिंग) कार्यपालन यंत्री द्वारा 100 प्रतिशत, अधीक्षण यंत्री द्वारा 25 प्रतिशत एवं मुख्य अभियंता द्वारा 10 प्रतिशत आवश्यक रूप से किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जा सकेगा।

(विजय सिंह वर्मा)
सचिव,
म.प्र.शासन,
लोक निर्माण विभाग



पू0 कमांक एफ 53/1/2012/19/यो/

भोपाल, दिनांक 05.02.2013

प्रतिलिपि:- निज सचिव, मा0 मंत्रीजी, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल

सचिव,
म.प्र.शासन, लो.नि.वि.

8/2/13
11/2